<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।</u>

J.O.Code–UP 2735

UPBH010039332026

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–415/12/2026

किरन-----बनाम -----उमेश कुमार सिंह आदि।

अन्तर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस०एस०

थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच।

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० का निस्तारण</u>

<u>25.07.2026</u>

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी किरन द्वारा प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4)बी० एन०एस०एस० मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना कराये की याचना की गयी है।

संक्षेप में प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अ–3 में कथन है कि प्रार्थिनी के ससुर भगवानदीन ने विपक्षीगण सं0–1 व 2 के पिता ठाकुर प्रसाद सिंह से ग्राम कमरमुल्लापुर (भग्गडवा बाजार) में सड़क के किनारे वर्ष 1990 व 1992 में पूर्ण प्रतिफल देकर प्लाट खरीदा था जिसकी दाखिल खारिज होकर खतौनी में प्रार्थिनी के ससुर भगवानदीन के नाम दर्ज थी जिनके मृत्युपरान्त उनके पुत्र प्रार्थिनी के पति ललित कुमार व अन्य भाइयों के नाम दर्ज चली आ रही है प्रार्थिनी के ससुर द्वारा उक्त खरीदी गयी भूमि के चारो तरफ पक्की ईटो की नींव भरवा दी थी किन्तु पैसों की कमी व आर्थिक तंगी की वजह से मकान नहीं बनवा सके थे। जबकि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की महिला है घटना दिनांक–13.06.2026 को समय करीब 8 बजे सुबह प्रार्थिनी अपने प्लाट को देखने गयी थी जहां पर विपक्षीगण जबरन प्रार्थिनी के उक्त प्लाट पर निर्माण कर रहे थे प्रार्थिनी ने विपक्षीगणो को मना किया जिस पर वह लोग नहीं माने और आमादा फौजदारी हो 112 नं0 की पुलिस को फोन किया पुलिस मौके पर गयी किन्तु विपक्षीगण नहीं माने प्रार्थिनी ने उसी समय थाना हुजूरपुर पर फोन किया वहां से भी पुलिस गयी उनके डांटने पर विपक्षीगणों ने निर्माण कार्य रोकवा दिया पुलिस के चले जाने के बाद विपक्षीगणों ने प्रार्थिनी को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दी और मुक्का थप्पड़ से मारा पीटा तथा जान से मार डालने की धमकी देकर कहा कि चमारिन साली भाग जाओ नहीं तो तुमको पेट्रोल डालकर फूंक देगें। इस जमीन को कब्जा करने के लिए मैंने 1 लाख रूपये भग्गड़वा चौकी पर दे रखा है हम लोगों का कुछ नहीं कर पाओगी प्रार्थिनी किसी तरह रोती बिलखती हुई उक्त घटना की लिखित तहरीर थाना हुजूरपुर में दिया किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक–14.06.2026 को बहराइच आकर पुलिस अधीक्षक बहराइच व कई अन्य उच्चाधिकारियों को जरिए डाक व जरिए आनलाइन प्रार्थना पत्र दिया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र,पुलिस अधीक्षक बहराइच को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, जनसुनवाई रसीद, बैनामें आदि की छायाप्रति, नकल खतौनी की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति,जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति व मूल रजिस्ट्री रसीद दाखिल किया गया है।

थाने से आख्या आहूत किया गया। थाना की आख्यानुसार प्रकरण के सम्बन्ध में

कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका के प्रार्थनापत्र में किये गये कथन तथा समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र व दाखिल प्रपत्रों तथा प्रार्थनापत्र के आलोक में थाने से प्राप्त आख्या के अवलोकन से यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में जो कथन किये गये है उनके अवलोकन से प्रकरण में प्रथमदृष्टया संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किये जाने का पर्याप्त आधार विद्यमान होना पाया जाता है। इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना कराया जाना न्यायोचित एवं समीचीन प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदिका का प्रार्थनापत्र अ–3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस० एस० स्वीकार करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदिका के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के अनुसार उचित धाराओ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर इस न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित करें।

इस आदेश की एक प्रति प्रभारी निरीक्षक थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच को अविलम्ब प्रेषित किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश,
दिनांक 25.07.2026 (एस.सी./एस.टी. एक्ट), बहराइच।